डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ० 20 रु० 6-7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-1]

नम्बर व तारीख
अहकाम जा
हुक्म की तामील
जारी हुए

S.D.O कामां मुकाम

सुरेश कुमार आदि
कोलिकरी बनाम मुलजिमान

दावा बावत 88/91/188 RT Act

मुकदमा नं० 10/18 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू

मिनजानिब

मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादीगण का दावा आराजी 181/0.33, 180/0.27, 134/0.21, 172/0.32, 133/0.27, 566/171/0.54 किता 6 रकबा 1.54 है वाके ग्राम किरावटा पटवार मण्डल ... के खाते में इन्तकाल नं० 415 दि. 11/5 ... दर्ज किया है को ... किया जाकर ... सिरे से मुलजिमान ... गोविन्द आदि माली ... नौनेरा ... के खातेदार ... रामजीलाल, नरसिंह, ताराचन्द एवं शकुन्तला आदि माली निवासी ... तथा श्याम के नाम ... -

आज मुबलिग x

इस मुकदमे के ... सूद व शहर ... को सर्दी सालाना आज की

... से तारीख वसूलयाबी ... तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 4/02/19 माह सन्

जारी की गई

दस्तखत (हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०

ओहदा

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	2		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	4		स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प बजह सबूत			महनताना वकील ( ) पर		
महनताना वकील ... पर			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान	6 -		मीजान		

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०

पर उनके खारिजान लीलावती, दिनेश, पिन्टू उर्फ वेदप्रकाश, सी
विनरान श्याम जाति माली निवासी नोरेटा तहत आलाड़ जिले
दरवाजा कामां को दाखिला कराकर 1/5 तथा 1/5 दाखिला कराव
खातेदार दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

न्यायालय

मुकदमा नं0.

1. लीला
कामां
2. दिनेश
3. पिन्टू
लीला
4. सीमा
वेवा

1– हुक
2– शि
3– मर्न
4–तार
5. शव
6. रोश
7 राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां पदेन सहायक कलक्टर(भरतपुर)

व इजलास श्री सुरेश कुमार यादव R.A.S.

मुकदमा नं0. 10/18 राजस्व वाद

बनाम

1. लीलावती बेवा श्याम जाति माली निवासी नौनेरा तहसील कामां हाल आबाद दिल्लीगेट कामां
2. दिनेश पुत्र श्याम
3. पिन्टू उर्फ वेदप्रकाश पुत्रान श्याम जाति माली निवासी कामां नाबालिगान जरिये वली लीलावती वेवा श्याम माता खुद
4. सीमा पुत्री श्याम जाति माली निवासी दिल्ली गेट कामां नाबालिग जरिये वली लीलावती वेवा श्याम जाति माली हाल निवासी दिल्ली गेट कामां

वादीगण

बनाम

1– हुक्मी पुत्र गोविन्दा जाति माली निवासी नौनेरा तहसील कामां

2– शिवराम

3– मनीराम

4–ताराचन्द पिसरान हुकमी जाति माली निवासी नौनेरा

5. शकुन्तला पुत्री हुकमी पत्नि पप्पू जाति माली निवासी जाट कालोनी कामां

प्रतिवादीगण

6. रोशनलाल पुत्र गोविन्दराम जाति माली निवासी नौनेरा

7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार कामां

फोरमल प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 R.T.Act

निर्णय दिनांक 04-02-2019

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 132/0.46, 133/0.27, 134/0.21, 170/0.28, 172/0.32, 180/0.27, 181/0.33, 299/0.39, 300/0.19, 309/0.28, 310/0.35, 556/171/0.54 वाके ग्राम किरावता तहसील कामां की आराजी है । बादी व प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार एक ही परिवार के सदस्य है । आराजी मुतनाजा को पूर्व में वादीगण के बाबा वादनी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या एक की पुत्र बधू व वादीगण संख्या 2.3.4 पौत्र हैं संयुक्त आमदनी से अपने पुत्रों क्रमशः1 के चार लडके मनीराम शिवराम ताराचन्द व श्याम है । जिसके वारिसान वादीगण संख्या एक लगायात चार है आराजी मुतनाजिया पैत्तिक आराजी है हिन्दु विधि के मुताबिक पैत्तिक सम्पत्ति में जन्म जात अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

प्राप्त हो जाते हैं । तथा वादीगण बाहिस्सा काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं । लेकिन राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या एक के नाम आराजी मुतनाजा के 1/2 हिस्सा व इन्द्राज गलत दर्ज हो रहा है । विधि बजह वादीगण अपने आपको आराजी मुतदावियया के 1/4 हिस्से पर वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जा कर दावा की जबाव देही हेतु प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित अदालत आये। आराजी खसरा नम्बरान का बटवारा प्रतिवादी नं0 1 व उसके भाई रोशनलाल के बीच हो चुका है जिसमें मुताबिक बटवारा के आराजी खसरा नम्बरान 229/038, 310/0.35, 300/0.19, 309/0.28, 132/0.46, 170/0.28 किता 6 रकवा 1.94 प्रतिवादी नं01 के भाई रोशनलाल के हिस्से में चला गया तथा आराजी 181/0.33, 180/0.27, 134/0.21, 172/0.32, 133/0.27, 566/171/0.54 किता 6रकवा 1.94 हैक्टयर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आया को शिवराम मनीराम तारा, शकुन्तला जो पहले से अभिलेख पर है तथा श्याम के मरने के बाद लीलावती, दिनेश पिन्टू उर्फ वेदप्रकाश सीमा पुत्री श्याम है मृतक हुकमी के वारिसान है उक्त के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है जिनके हिस्से अनुसार 1/5 व 1/5 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 181/0.33, 180/0.27, 134/0.21, 172/0.32, 133/0.27, 566/171/0.54 किता 6रकवा 1.94 हैक्टयर वाके ग्राम किरावता पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होता है तो कोई ऐतराज नहीं होगा ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उपलब्ध दस्तावेज का मनन किया तथा राजीनामा को पक्षकार को पढकर सुनाया सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया । राजीनामा के अनुसार खसरा नम्बर 181/0.33, 180/0.27, 134/0.21, 172/0.32, 133/0.27, 566/171/0.54 किता 6रकवा 1.94 हैक्टयर वाके ग्राम किरावता पर शिवराम मनीराम ताराचन्द शकुन्तला 1/5 हिस्सा पर खातेदार दर्ज किया जाना उचित है । लीलावती वारिसान के नाम पूर्व में इन्तकाल नं0 415 से दर्ज रिकार्ड है को कलमजन किया जाकर नये सिरे से हुकमी पुत्र गोविन्दा जाति माली निवासी नौनेरा तहसील कामां के वारिसान शिवराम , मनीराम , ताराचन्द एवं शकुन्तला जाति माली निवासी नोनेरा तहसील कामां के वारिसान शिवराम, मनीराम लीलावती , दिनेश पिन्टू उर्फ वेदप्रकाश, सीमा पिसरान श्याम जाति माली निवासी नौनेरा हाल आबाद दिल्ली दरवाजा कामां को बहिस्सा बराबर 1/5 तथा 1/5 बहिस्सा बराबर किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि –

वादीगण का दावा राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किया जाता है आराजी खसरा नम्बर 181/0.33, 180/0.27, 134/0.21, 172/0.32, 133/0.27, 566/171/0.54 किता 6रकवा 1.94 हैक्टयर वाके ग्राम किरावता पर लीलावती व वारिसान के नाम पूर्व में इन्तकाल नं0 415 से 1/5 खातेदार दर्ज रिकार्ड है को कलमजन किया जाकर नये सिरे से हुकमी पुत्र गोविन्दा जाति माली निवासी नौनेरा तहसील कामां के वारिसान शिवराम , मनीराम, ताराचन्द एवं शकुन्तला जाति माली निवासी नौनेरा तथा श्याम के स्थान पर उनके वारिसान लीलावती

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज.

दिनेश, पिन्टू उर्फ वेदप्रकाश सीमा, पिसरान श्याम जाति माली निवासी नौनेरा हाल आबाद दिल्ली दरवाजा कामां को बहिस्सा बराबर 1/5 तथा 1/5 बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज किया जाता है । इस आश्य की डिक्री तैयार कर तहसीलदार कामां को भेजा जावे । मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04-02-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04-02-19

(सुरेश कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां